निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -21/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार मौर्य ले0प0 व श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.17 से 31.05.17 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** डी0डी0ओ0 का कार्य नही कया जा रहा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - सम्पूर्ण रुद्रप्रयाग

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

   विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	लक्ष्य	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2012-13		207.62
2013-14		324.07
2014-15		628.86
2015-16		989.21
2016-17		971.05

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (खनन) – अपर सचिव/निदेशक – जिला खनन अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **सम्पूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह03/14, 10/15 और 3/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह ..... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 01:- वभागीय उदासीनता के फलस्वरुप राजस्व क्षति 13.33 लाख एवं ब्याज की हानि

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 197/VII-1/130-ख/2013 देहरादून दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के दिशा-निदेर्शो के अनुपालन मे राजस्व भूमि पर राजस्व हित एवं राज्य विकास के लिये खनन/चुगान के लिये पट्टा देने के लिये स्थल का सयुक्त निरीक्षण कर एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के आदेश सं 1573/तीस-03/2013-14 दिनांक 18.01.2014 को (i) श्री धीर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह उखीमढ रुद्रप्रयाग को खसरा सं0 1370 के रकवा 0.080 हे0 के राजस्व नाप भूमि मे 2280 टन अधिकतम मात्रा प्रतिर्ष उपखनिजों के चुगान की स्वीकृत पट्टा रजिस्टर्ड कराने के उपरान्त प्रथम मासिक किश्त `76125 जमा करने के उपरान्त तथा दो मा सक कश्त 152250 प्रतिभूति की धनरा श जमा करने के उपरान्त तीन वर्षो या 30 सतम्बर 2016 तक, जो भी पहले हो, के लये निम्न शर्तो के साथ खनन/चुगान का आदेश दिया गया था।

(क) पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त स्वीकृत शर्त में उत्तराखण्ड परिहार्य नियमावली 2001 तथा खनिज नीति-II के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो के अधीन खनन-/चुगान का कार्य करेगा तथा वा र्षक अपरिहार्य भाटक का धनरा श भुगतान व मा सक समान कश्तों के रुप मे अ ग्रम प्रत्येक माह की 20 तारीख तक राजकीय कोषागार मे जमा करेगा।

(ख) खनन पट्टा धारक द्वारा निर्धारित ति थ तक अ ग्रम मे मा सक कस्त न जमा कये जाने की स्थिति मे खान अ धकारी/ज्येष्ठ खान अ धकारी 10 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 15% वा र्षक ब्याज सहित जमा कये जाने का नोटिस जारी करेगा। यदि नोटिस के उपरान्त भी अ ग्रम जमा नही कया जाता तो पुन खान अ धकारी 7 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 18% वा र्षक ब्याज की दर से नोटिस जारी करेगा उक्त के उपरान्त भी यदि अ ग्रम मा सक कश्त जमा नही कया जाता तो जिला धकारी द्वारा प्रतिभूति व अ ग्रम धनरा श का समायोजन करते हुये निरस्त कर दिया जायेगा।

(ग) खनन पट्टा निरस्त होने तथा अ ग्रम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टा धारक से पृथक से भू- राजस्व की क्षति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी तथा पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची मे डाल दिया जायेगा।

(घ) मा सक अ ग्रम धनरा श को जमा करने के उपरान्त ही खनन/चुगान की मात्रा के परिवहन हेतु फार्म एम0एम0 11 निर्धारित मूल्य जमा कर कार्यालय से प्राप्त करेगा।

(ङ) उप खनिजों का चुगान/खनन पट्टा अव ध के अन्तर्गत प्रत्येग वर्ष 01 अक्टुबर से 30 जून (09माह) तक रहेगा।

जिला खनन अ धकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना जांच मे पाया गया क नि वदा की शर्तो के अनुसार पट्टा तीन वर्ष या 30 सतम्बर 2016 तक की अव ध हेतु था, इस लये माह 01/2014 (पट्टा आदेश माह) से 30 सतम्बर 2016 तक के मध्य वर्षा ऋतु (जुलाई, अगस्त, सतम्बर) को छोड कर कुल 24 माह मे चुगान /खनन कया गया था परन्तु 24 माह का कस्त न जमा करके मात्र 11 माह की कस्त 837375/- जमा कया गया था। इस प्रकार 13 माह का (10/14 का तथा 04/15 से 06/16 तक) कुल धनरा श 989625/- को राजस्व के रुप मे कोषागार मे जमा नही कया गया तथा उक्त पर जमा कये जाने की ति थ तक ब्याज भी देय है।

(ii)श्री अनुसूया प्रसाद मालसी पुत्र श्री गुणान्नद मालसी की पत्रावली की जांच मे पाया गया क पट्टा धारक द्वारा 04/17 तक मे चार माह का मा सक कश्त जमा नही कया गया था जिस कारण ₹342504/- की राजस्व क्षति हुआ था तथा उक्त पर जमा करने की ति थ तक ब्याज भी देय होगा।

उक्त अनिय मतता के संबंध मे इं गत कये जाने पर इकाई आकड़ो तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर दिया गया क एम0एम0-11 निर्गत करने की ति थ बता पाना संभव नही है। प्रतिभूति एवं अ ग्रम का समायोजन नही कया गया है और न ही भू-राजस्व की क्षति वसूली की कार्यवाही की गयी है तथा पट्टा धारक को काली सूची मे भी नही डाला गया है तथा सम्प्रेक्षा ति थ तक खनन पट्टा भी निरस्त नही कया गया है।

उत्तर स्वत: ही प्रकरण स्वीकार्य करता है। अत उक्त दोनो प्रकरणों मे वभागीय उदासीनता के परिणामस्वरुप राजस्व क्षति ₹13.33 लाख एवं जमा कये जाने की ति थ तक ब्याज का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 02-स्टोन क्रेशर के आवेदन शुल्क के रुप में कम जमा से राजस्व क्षति 2.00 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास वभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या 1026/VII-1/2015/68-रिट /2008 देहरादून, दिनांक 31.07.15 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-क) के लये स्टोन क्रेशर के आवेदन/नवीनीकरण हेतु 200 टन प्रतिदिन तक क्षमता के लये शुल्क 2.50 लाख निर्धारित था।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया गया क उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1352/VII-1/40-स्टोन क्रेशर/2015 देहरादून, दिनांक 16 सतम्बर 2015 के द्वारा आवेदक नीलकंण्ठ स्टोन क्रेशर द्वारा श्रीमती आरती उनियाल को ग्राम चम सल (सारी) मे 200 टन प्रति दिन क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अव ध के लये अनुज्ञा स्वीकृत कया गया था। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क के रुप मे मात्र 0.50 लाख चालान द्वारा जमा कया गया था, जब क कार्यालय ज्ञाप के अनुसार स्टोन क्रेशर के आवेदन /नवीनीकरण पर शुल्क 2.50 लाख जमा कया जाना अपे क्षत था।

उपरोक्त प्रकार से 2.00 लाख आवेदन शुल्क के रुप मे कम जमा कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वरा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया क "परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं आवेदक द्वारा अवशेष 2.00 लाख जमा नही कया गया है।"

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 03-स्टाम्प शुल्क का अनारोपण ₹1.33लाख

इण्डियन स्टाम्प अ धनियम, 1899 की धारा 33 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अ धकृत पु लस अ धकारी के सवाय, सार्जनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्य के सम्पादन मे कोई ऐसा वलेख प्रस्तुत कया जाये या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो क वह वलेख यथा व ध स्टाम्पित नही है, से जब्त करेगा।

पुन धारा 35 के अनुसार व ध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अ धकृत कसी व्यक्ति द्वारा ऐसे वलेख को जो शुल्क से प्रर्भाय है, साक्ष्य स्वीकार नही कया जायेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या कसी सार्वजनिक अ धकारी द्वारा उसको कार्यन्वित रजिस्ट्रीकृत या प्रमा णत नही कया जायेगा, जब तक वह वलेख यथा व ध स्टाम्पित न हो। रजिस्ट्रेशन अ धनियम 1908 की धारा 17(1)(घ) मे यह प्रावधान कया गया है क वर्षा नु0वर्ष या एक वर्ष से अ धक से अ धक कसी अव ध के लया या वा र्षक कराया सुर क्षत करने वाली अचल सम्प त्त की लीज के लेखपाल का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो वलेख एक वर्ष से कम अव ध के लये है उनका रजिस्ट्रीकरण ऐच्छिक है कन्तु उसके प्रतिफल की धनरा श पर स्टाम्प शुल्क अदा कया जाना अपे क्षत है।

पुन महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड के पत्रांक 82/म0नि0नि0/2013-14 दिनांक 23.12.13 जो समस्त जिला धकारी को संबं धत है के द्वारा यह निर्देश दिये गये है क समस्त कार्यालयध्यक्ष भारतीय स्टाम्प अ धनियम का धारा 33 के आलोक मे उनके कार्यालय मे वगत 8 वर्षो मे निष्पादित कये गये व भन्न प्रकार के वलेखों का परीक्षण कर ले एवं यदि कसी प्रकरण मे स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबं धत अ भलेख की प्रति अपनी आख्या सहित यथाशीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय मे उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना लेखापरीक्षा मे कार्यालय के स्टे क्रेशर स्थापना /भण्डारण की पत्राव लयों की जांच मे पाया गया क सात स्टोन क्रेशर /भण्डारण के स्वा मयों को स्टोन क्रेशर /भण्डारण हेतु कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी भू म

कराये पर दी गयी तथा अनुबन्ध/करायेनामे पर मात्र 10/- से लेकर 150/- तक का स्टाम्प स्टाम्पित कया गया था जब क नियमानुसार अनुलग्नक-1 के कालम -9 के अनुसार स्टाम्प देय था एवं कालम-10 के अनुसार स्टाम्प शुल्क का कम था। उक्त प्रकार से व र्णत मामले कलेक्टर स्टाम्प को सन्द र्भत नही कये जाने से 1.33 लाख के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई तथा इन वलेख पत्रों को उप निबंधक कार्यालय मे पंजीकृत न कराये जाने के कारण निबंधन फीस के रुप मे भी राजस्व क्षति हुई।

इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क "उत्तराखण्ड शासन औद्यो गक वकास अनुभाग-2 की अ धसूचना सं 3252/VII-II/22-ख/01/2011, दिनांक 23 दिसम्बर. 2011 अतिरिक्त प्रावधान बिन्दु (4) के अनुसार निजी नाप भू म मे वज्ञप्तिकरण की कार्यवाही नही की जायेगी तथा भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदन करने पर जिला धकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर खनन निदेशक की संस्तुति के उपरान्त खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कये जायेगे।

वभाग का उत्तर मान्य नही है, क्यों क उनके उत्तर मे निजी नाप भू म में वज्ञप्तिकरण हो या नही के बारे मे बतलाया गया है न क कम स्टाम्प के बारे में।

प्रकरण उच्चा धकारियो को आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 04- खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों से कम शमन शुल्क की वसूली 40000/-

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-1, अ धसूचना संख्या 1725/VII-1/16/158-ख /2004 देहरादून दिनांक 13 नवम्बर 2016 के नियम 13-ज (1) के अनुसार 06 पहिया ट्रक पर अ धरो पत कये जाने वाला अर्थदण्ड 30000 तथा वाहन मे लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य, 06 पहिया से अ धक ट्रक, डम्पर, हाइवा आदि हेतु अर्थदण्ड 50000 तथा वाहन मे लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य निर्धारित कया गया था।

उक्त के अनुसार डम्पर एवं हाईवा पर अर्थदण्ड 50000 निर्धारित था।

कार्यालय जिला खनन अ धकारी, रुद्रप्रयाग की नमूना लेखापरीक्षा मे अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पत्राव लयो की जांच मे पाया गया क तीन डम्पर जो सभी 06 पहिया थे बिना वैध कागजात के परिवहन करते हुए पकड़े गये जिनमे डम्पर सं UA13-0407 जो दिनांक 26.03.17 को पकड़ा गया, से परिवहन का अर्थदण्ड 50000 निर्धारित कर वसूला गया, क्न्तु डम्पर संख्या UK13CA-0572 जो दिनांक 20.11.16 एवं डम्पर सं UK13CA023 पकड़ा गया से परिवहन का अर्थदण्ड ₹30000 प्रत्येक का निर्धारित कर वसूल कया गया था।

उपरोक्त प्रकार से अ धसूचना के अनुसार अर्थदण्ड न लगाने से जो दिनांक 20.12.16 को 40000 की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कये जाने पर इकाई ने तथ्यो एवं आँकड़ो की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बतलया क शासनादेश मे दिये प्रा वधानों के अनुसार वाहन के प्रकार व पहियों के अनुसार संबं धत वाहनों से अर्थदण्ड वसूला गया है, उक्त सभी वाहनों से नियमानुसार वसूली की गयी है, जिसका अर्थदण्ड वसूली उपरान्त जमा खजाना कया गया गया है।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नही है क्यों क सभी तीन वाहन 06 पहिया डम्पर थे तब एक डम्पर से अर्थदण्ड 50000 तथा दो डम्परों से अर्थदण्ड 30000 (प्रत्येक

से) निर्धारित कर वसूल करने मे भन्नता कस कारण थी, इकाई द्वारा स्पष्ट नही कया गया था।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
लागू नहीं		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला खनन अ धकारी रुद्रप्रयाग तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वरेन्द्र कुमार संह	खान अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय जिला खनन अ धकारी रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र